ग्रा0वि0-6-विविध/13-07/2018.....372432

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-31/05/2018

विषय:- देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना की स्वीकृति।

देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से सतत् जीविकोपार्जन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को बिहार राज्य के 534 प्रखंडों में आगामी तीन वर्षो के लिए लागू किया जायगा। योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

2. **योजना की कार्यनीति**

इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका के माध्यम से किया जायेगा तथा योजना के तहत क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (Graduation Approach) अपनाई जाएगी | इस कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण अवयव निम्नवत् हैं -:

I. क्षमता संवर्धन :इस योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन द्वारा चयनित कर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा, जिसके अंतर्गत क्षमता संवर्धन हेतु निम्न कार्य किए जाएँगे।
   a. लक्षित परिवारों के बीच स्वयं सहायता समूह के क्रियाकलापों एवं विशेषताओं पर व्यापक सूचनाओं का सम्प्रेषण |
   b. लक्षित परिवारों का सतत् क्षमता संवर्धन |
   c. प्रत्येक 30-50 लक्षित परिवारों के लिए एक सामुदायिक संसाधन सेवी की उपलब्धता।

II. जीविकोपार्जन निवेश निधि: इस अवयव के तहत :-
   i. लक्षित परिवार को जीविकोपार्जन अंतराल राशि- लक्षित परिवारों के पक्ष में जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक सहायता राशि दी जाएगी।
   ii. जीविकोपार्जन निवेश राशि – इस अवयव के माध्यम से जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना (Livelihoods Micro Planning) के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु औसतन रु०60,000/- (अधिकतम रु० 1,00,000 /-) प्रति परिवार निवेश में सहयोग दिया जायेगा।
   iii. आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ाव:-
      - उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास:- लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण दिए जायेंगे एवं उनको जीविका के विभिन उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा बैंकों से जोड़ा जाएगा।
      - जीविकोपार्जन एवं आय से संबंधित गतिविधियों से जुड़ाव :-सूक्ष्म योजना के तहत लक्षित परिवारों को गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि सम्बंधित गतिविधि, नीरा, अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय तौर पर अन्य आजीविका के अनुरूप गतिविधियों में सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक गतिविधि

हेतु क्षमता संवर्धन एवं वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान किया जाएगा एवं प्रति इकाई लागत का निर्धारण करके उसी के अनुरूप वित्तपोषण किया जायेगा।

- कौशल विकास एवं नियोजन :-इन परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियोजित किया जायेगा।

III. साझेदारी एवं सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ाव:-

(a) इस अवयव के अन्तर्गत चिह्नित परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिसमें मुख्यत: सात निश्चय कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, प्रधान मंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ शामिल हैं। भूमिहीन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बासगीत भूमि (Homestead land) उपलब्ध कराई जाएगी।

(b) इस अवयव के तहत लक्षित परिवारों को आजीविका के विकासात्मक योजनाओं यथा - समग्र गव्य विकास योजना, समग्र बकरी एवं भेड़ विकास योजना, समेकित मुर्गी विकास योजना तथा अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता के लिए विभिन्न संस्थाओ के साथ साझेदारी की जाएगी।

IV. परियोजना प्रबंधन :इस अवयव के अंतर्गत समर्पित मानव संसाधन राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई होगी, जिसमें जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेवार होंगे। इनकी सहायता के लिए राज्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक एवं चार युवा Professionals होंगे। जिला स्तर पर युवा Professionals (प्रति 40-50 सामुदायिक संसाधन सेवियों पर एक) एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों के द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3. इस योजना की कुल लागत रू0 840 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए क्रमश: रू0 194.5 करोड़, रू0 296 करोड़ एवं रू0 114.5 करोड़ कुल रू0 605 करोड़ के बजट प्रावधान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा शेष राशि विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से व्यय किया जायेगा। अभिसरण के तहत निधि की उपलब्धता में कमी होने की स्थिति में इस योजना के तहत उपलब्ध निधि से व्यय किया जायेगा। इस योजना के तहत वर्षवार निधि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार दी जाती है :-

(राशि करोड़ रू0 में)

क्र०	व्यय मद	कुल व्यय	बजट के स्रोत		वर्षवार		
			जीविका एवं अभिसरण	योजना के तहत	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	जीविकोपार्जन अंतराल राशि	70.00	0.00	70	35	28	7
2	जीविकोपार्जन निवेश निधि(10% राशि लक्षित परिवारों द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाएगा)	600.00	150	450	135	225	90
3	साझेदारी एवं अभिसरण	20.00	10	10	2	5.5	2.5
4	क्षमतावर्धन राशि	150.00	75	75	22.5	37.5	15
5	कुल राशि	840.00	235	605	194.5	296	114.5

4. इस नयी योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान नहीं है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि / अनुपूरक बजट के माध्यम से निधि का उपबंध किया जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/5/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 372432 / पटना, दिनांक 31/05/2018

ग्रा0वि0-6-विविध/13-07/2018

प्रतिलिपि- गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाँय ।

31/5/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 372432 / पटना, दिनांक 31/05/2018

ग्रा0वि0-6-विविध/13-07/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 372432 / पटना, दिनांक 31/05/2018

ग्रा0वि0-6-विविध/13-07/2018

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव / मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 372432 / पटना, दिनांक 31/05/2018

ग्रा0वि0-6-विविध/13-07/2018

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/ बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/2018

सरकार के सचिव